FORM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

दुर्गालाल **बनाम** गंगाराम

किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र आदेश–47 नियम–1 सी.पी.सी. **नम्बरः–2025/1603**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.09.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। उनकी बहस प्रार्थना पत्र आदेश–47 नियम–1 सी.पी.सी. पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् का निर्णय दिनांक 28.07.2025 ऐरर अपरेन्ट ऑन दी फेस ऑफ दी रिकार्ड होने के कारण रिव्यू किया जाना कानूनन आवश्यक है। उन्होने कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रार्थना पत्र अधीन आदेश नामान्तरकरण विक्रय पत्र को आधार बनाते हुए पारित करने में भारी भूल की है क्योंकि प्रकरण से सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 1446 पारित किये जाने से पूर्व ही अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 द्वारा अन्य सह–खातेदारान के साथ मिलकर सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त करते हुए विक्रय पत्र का निष्पादन प्रार्थी के हक में तहरीर करते हुए सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्ति की सहमति देकर उप पंजीयक के समक्ष पंजीयन कराने हेतु पेश कर दिया था जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण से सम्बन्धित नामान्तरकरण व विक्रय पत्र का निष्पादन अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 द्वारा प्रार्थी के हक में तहरीर कर पंजीयन करवाया जा चुका था। उक्त तथ्यों को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 द्वारा छुपाते हुए न्यायालय श्रीमान् के समक्ष गलत तथ्य रखकर प्रार्थना पत्र अधीन आदेश पारित करवाया गया है। इस कारण भी न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित आदेश रिव्यू किया जाना आवश्यक है। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम द्वारा प्रार्थना पत्र अधीन आदेश में टिप्पणी की है कि अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अधीन भूमि पर अपने कब्जे के सम्बन्ध में कोई ठोस सबूत/दस्तोवजात न्यायालय के समक्ष पेश नही किये है। जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो कि वर्तमान अपील में अपीलान्ट है के हक में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 द्वारा अन्य खातेदारान के साथ मिलकर सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त हो जाने व भूमि का कब्जा प्रार्थी को संभला दिये जाने की सहमति लिखित में दे दी थी। ऐसी स्थिति में न्यायालय की उक्त विवेचना स्वतः ही विधि के प्रावधानों व दस्तावेजी साक्ष्य के विपरित थी। उक्त तथ्य पर भी न्यायालय श्रीमान ने गौर नही कर जो आदेश पारित किया है, वह रिव्यू किये जाने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि तहसीलदार सांगानेर के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1446 विधि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दुर्गालाल **बनाम** गंगाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की अपील में जारी हुए
	अनुसार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसको व एग्रीमेन्ट को आज तक सक्षम न्यायालय में चैलेन्ज नही किया है। उक्त तथ्य पर भी न्यायालय श्रीमान् ने गौर नही कर जो आदेश पारित किया है, वह रिव्यू किये जाने योग्य है। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील संख्या 349/2024 बउनवानी दुर्गालाल बनाम गंगाराम में पारित निर्णय दिनांक 28.07.2025 को रिव्यू किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर की अपील संख्या 64/2024 उनवानी रामरतन व अन्य बनाम दुर्गालाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2024 को निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 1446 दिनांक 29.12.2023 को बहाल किये जाने के आदेश पारित फरमायें जावें। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिव्यू में ऐसे नवीन तथ्य सामने नही आये है जिससे न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 28.07.2025 को रिव्यू किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रिव्यू खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश–47 नियम–1 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील हमफीता मूल अपील रहे। आदेश सुनाया गया। (पूनम) संभागीय आयुक्त जयपुर।	